	आवेदन के बाद के बिन्दुओं पर [illegible], [illegible] [illegible] से [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश दि 11.2.23 को पेश हो।	
11.2.23	पत्रावली आज [illegible] लोक अदालत में पेश हुई। पक्षगण [illegible] [illegible] पत्रावली में [illegible] के आधार पर लोक अदालत की [illegible] से [illegible] स्वीकार किया जाने योग्य प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है। [illegible] किया गया। पत्रावली [illegible] की जाकर [illegible] नकल दाखिल दफ्तर हो।	राजीनामा प्रमाणित नहीं है 11.2.23

—:: न्यायालय उपजिला कलेक्टर सांगोद जिला कोटा ::—
बईजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मिसल न0 21/2021

बउनवान

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र हरिप्रसाद जाति महाजन
2. बृजराज विजय पुत्र हरिप्रसाद जाति महाजन

निवासीगण ग्राम देगन्या हाल निवासी सेक्टर 7 केशवपुरा कोटा जिला कोटा राजस्थान। वादीगण

बनाम

1. हरिप्रसाद पुत्र धन्नालाल जातिमहाजन निवासीग्राम देगन्या तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,209 एल आर एक्ट

उपस्थितिः—
वादी की ओर सेः— श्री अनुतोष नागर एडवोकेट
प्रतिवादीन01 की ओर से :— श्री रामप्रसाद नागर एडवोकेट
प्रतिवादीन02 की ओर से :— पैरोकार सरकार

—:: **निर्णय** ::— दिनांकः— 11.02.2023

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि 1. यहकि वादीगण प्रतिवादी न01 के पुत्र है, अर्थात वादीगण व प्रतिवादी न01 के मध्य पिता पुत्र का रिश्ता है, जिनके मध्य खून का रिश्ता है। वादीगण के पिता प्रतिवादी न01 के एकल खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम देगन्या पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स0 नइ 122 पुरानी 14 कुल 4 किता की कुल 1.53 हेक्टर आराजी व खाता स0 नई 115 कुल 1 किता की 0.12हेक्टर व खाता स0 नई 123 कुल 5 किता की कुल 2.18 हेक्टर आराजीयात स्थित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः—

अ. माल ग्राम	खाता स0	खसरा न0	रकबा हेक्टर
देगन्या	नई 122	100	0.16हेक्टर
		107	0.06हेक्टर
		275	1.03हेक्टर
		276	0.28हेक्टर

कुल 4 किता की कुल 1.53हेक्टर आराजी

2....

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

ब. माल ग्राम	खाता स0	खसरा न0	रकबा हेक्टर
देगन्या	नई115	77	0.12हेक्टर

कुल 1 किता की कुल 0.12हेक्टर आराजी

स. माल ग्राम	खाता स0	खसरा न0	रकबा हेक्टर
देगन्या	नई 123	280	0.01हेक्टर
		281/1पश्चिम0.08हेक्टर	
		282/1	0.98हेक्टर
		283/1पूर्व	0.06हेक्टर
		294	1.05हेक्टर

कुल 5 किता की 2.18हेक्टर आराजी

उक्त वर्णित आराजी वादीगण के पिता प्रतिवादी न01 को वादीगण के दादाजी स्व0 श्री धन्नालाल जी से उत्तराधिकार मे प्राप्त आराजी है, उक्त आराजी पैतृक पुश्तेनी आराजी है, जिसमे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का प्रतिवादी न01 के साथ बांट बराबर का हिस्सा निहित है, अर्थात वादीगण व प्रतिवादी न01 का प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा निहित है। तथा वादीगण अपने पुश्तेनी हिस्से की आराजी को मौके पर शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे है।वादीगण वाद पत्र की मद न01 मे निहित उनके पुश्तेनी हिस्से की आराजी को शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे है, लेकिन उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड मे वादीगण का नाम दर्ज नही होने व केवल मात्र प्रतिवादीन01का ही नाम होने से वादीगण को उनके पुश्तेनी हिस्से की आराजी का विकास कार्य करवाने एवं कृषि ऋण आदि प्राप्त करने मे परेशानी आ रही है, जिसके लिए वादीगण द्वारा प्रतिवादीन01 से तहसील कार्यालय मे चलकर पुश्तेनी हिस्से के अनुसार आराजी का बंटवारा करवाकर राजस्व रेकार्ड मे नाम दर्ज करवाने की कहने पर प्रतिवादीन01 टालमटूल करते है, ऐसी स्थिति मे वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है, कि वे माननीय न्यायालय मे उक्त वाद प्रस्तुत करके पुश्तेनी हिस्से की अपने हक मे घोषणा करवावे, कि माल ग्राम देगन्या पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स0 नइ 122 पुरानी 14 कुल 4 किता की कुल1.53हेक्टर आराजी वादीगण की पैतृक पुश्तेनी आराजी होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवादी न01 के साथ बांट बराबर का हक व हिस्सा निहित होने से वादीगण को प्रतिवादीन01 के साथ बांट बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर घोषणा की डिकी पारित फरमायी जावे, तथा उक्त घोषणा के अनुकम मे इन्द्राज दुरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे अंकन किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावे। जिसके लिए वादीगण द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया, व प्रतिवादीगण की तलबी की गई। जिसमे प्रतिवादीन01 द्वारा उपस्थित होकर अपनी ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया, और वादी का वाद स्वीकार करते हुए घोषणा करने मे अपनी सहमति प्रदान की गई, तथा प्रतिवादी न02 राजस्थान सरकार का कोई राजहित प्रभावित नही होने से वाद मे जवाब की आवश्यकता नही रही है।

पत्रावली को बहस वादीगण मे नियत की गई, जिस पर वकील वादी द्वारा अपनी बहस मे वाद के बिन्दुओ को दौहराया गया, तथा बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर हम वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने योग्य उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाता हैं, तथा आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम देगन्या पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स0 नइ 122 के खसरा न0 100,107,275,276 कुल 4 किता की कुल 1.53हेक्टर आराजी व खाता स0 नई 115 के खसरा न0 77 की 0.12हेक्टर व खाता स0 नई 123 के खसरा न0 280,281/1पश्चिमी,282/1,283/1,294 कुल 5 किता की 2.18 हेक्टर आराजी वादीगण की पैतृक पुश्तेनी आराजी होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवादी न01 के साथ बांट बराबर का हक व हिस्सा निहित होने से वादीगण को प्रतिवादीन01 के साथ बांट बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर घोषणा की डिक्री पारित की जाती है, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम मे इन्द्राज दुरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है,नियमानुसार डिक्री पर्चा प्रथक से जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे।

(राजेश डागा)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 .....को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश डागा)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला-कोटा
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई
आर. रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी

निर्णय बईजलास श्री राजेश डागा(आर ए एस) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
मिसल न0 21 /2021 तारीख दायरा:– 22/2/21

बउनवान

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र हरिप्रसाद जाति महाजन
2. बृजराज विजय पुत्र हरिप्रसाद जाति महाजन निवासीगण ग्राम देगन्या हाल निवासी सेक्टर 7 केशवपुरा कोटा जिला कोटा राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. हरिप्रसाद पुत्र धन्नालाल जातिमहाजन निवासीग्राम देगन्या तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,209 आर टी एक्ट

दिनांक:– 11/02/2023

आज यह मुकदमा वास्ते मिसाल कतई मुझ श्री राजेश डागा(आर ए एस) व हाजरी श्री अनुतोष नागर एडवोकेट वकील वादी एवं प्रतिवादीन01 श्री रामप्रसाद नागर एडवोकेट, प्रतिवादी न02 पैरोकार सरकार मिन जानिब मुद्दई रूबरू श्री ..... मिन मुद्दायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि:–वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाता है, कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाता है,कि माल ग्राम देगन्या पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स0 नइ 122 के खसरा न0100,107,275,276 कुल 4 किता की कुल 1.53 हेक्टर आराजी व खाता स0 नई 115 के खसरा न0 77 की 0.12हेक्टर व खाता स0 नई 123 के खसरान0 280,281/1पश्चिमी,282/1,283/1,294 कुल 5 किता की 2.18 हेक्टर आराजी वादीगण की पैतृक पुश्तेनी आराजी होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवादी न01 के साथ बांट बराबर का हक व हिस्सा निहित होने से वादीगण को प्रतिवादीन01 के साथ बांट बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर घोषणा की डिक्री पारित की जाती है, तथा उक्त घोषणा के अनुकम मे इन्द्राज दुरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(राजेश डागा)
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा